रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED NO. D. (D.N.)-72



भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 474] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 22, 1984/पौष 1, 1906
No. 474] NEW DELHI, SATURDAY, DEC. 22, 1984/PAUSA 1, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 1984

सं. 288/84-सीमा-शुल्क

सा. का. नि. 818(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपना यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक

है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 2/83-शुल्क, तारीख 1 जनवरी, 1983 में निम्नलिखित और संशोधन करती है,

के. एस. वेंकटगिरि, अवर सचिव

[फा सं. 346/74/84-टीआरयू]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 22nd December, 1984

No. 288|84-CUSTOMS

G.S.R. 818(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 2|83-Customs, dated the 1st January, 1983, namely:—

In the said notification, paragraph 2 shall be omitted.

[F. No. 346|74|84-TRU]

सं. 224/84-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा. का. नि. 819 (अ) :—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 1/83-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तारीख 1 जनवरी, 1983 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में पैरा 2 का लोप किया जाएगा ।

[फा. सं. 346/74/84-टी. आर यू.]

के. एस. वेंकटगिरि, अवर सचिव

No. 224|84-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 819(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 1|83-Central Excises, dated the 1st January, 1983 namely:—

In the said notification, paragraph 2 shall be omitted.

[F. No. 346|74 84-TRU]

K. S. VENKATAGIRI, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1984